न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : अंशदीप, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 42/2019

अपीलांट्स–

1. कुम्भाराम पुत्र तुलछाराम
2. गंगाराम पुत्र तुलछाराम
3. मूलाराम पुत्र घमण्डाराम

जाति जाट निवासी धन्ने की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स –

1. तहसीलदार सिणधरी
2. नरीगाराम पुत्र पूनमाराम
3. अणसी देवी पत्नी पूनमाराम
4. तगाराम पुत्र भीखाराम
5. बाबूराम पुत्र भीखाराम
6. दामोदर पुत्र भीखाराम
7. पपूराम पुत्र भीखाराम
8. अणसी देवी पत्नी भीखाराम
9. मगनाराम पुत्र राजूराम

जाति जाट निवासी धन्ने की ढाणी, तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक : 485 दिनांक 14.12.2010 जो अपीलांट्स व उत्तरदाता सं. 2 से 9 की संयुक्त खातेदारी की भूमि के विभाजन हेतु उप–तहसीलदार सिणधरी द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–

1. श्री सुनिल के. मेराजा, अधिवक्ता अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. राजकीय पैरोकार, रेस्पोडेंट सं. 1 की ओर से उपस्थित।
3. रेस्पोडेंट सं. 2व9 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

निर्णय

दिनांक : 18/02/2020

1. अपीलांट्स की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट उप–तहसीलदार सिणधरी के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश दिनांक 14.12.2020 के विरूद्ध पेश की गई हैं।

जिला कलक्टर
बाड़मेर

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि मौजा धन्ने की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 205, 207, 208 व 239 रकबा क्रमशः 165–12, 00–03, 59–18, 132–09 बीघा कुल रकबा 358–02 बीघा भूमि खातेदारान तगाराम, बाबूराम, दामोदर, पपूराम पि0 भीखाराम, अणसी पत्नी भीखाराम, मंगना वल्द राजू 1/3, नरीगा पुत्र पूनमा, अणसी बेवा पूनमा 1/3, कुंभाराम, गंगाराम पि0 तुलछा, पेंपो बेवा तुलछा, मूलाराम पुत्र घमण्डाराम 1/3 कौम जाट साकिन देह ने प्रार्थना पत्र दिनांक 14.12.2010 उप–तहसीलदार सिणधरी के समक्ष प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का विभाजन करने का निवेदन किया। पक्षकारान की पहचान हल्का पटवारी कमठाई द्वारा की गई तथा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि पक्षकारान के उक्त इकरारनामे की रिकार्ड के आधार पर जांच की गई। विभाजन इकरारनामा में वर्णित भूमि उक्त खातेदारों के नाम सह काश्तकारी मे दर्ज है तथा इस इकरारनामे मे भूमि एवं लगान का विवरण सही किया गया है, इसी माफिक सभी पक्षकार सहमत है एवं कोई विवाद नही हैं। इस पर उप–तहसीलदार सिणधरी द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट एवं पक्षकारान की सहमति के आधार प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक : भूअ/10/485 दिनांक 14.12.2010 पारित किया गया। अपीलांट्स ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 06.09.2019 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट्स की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अपीलाधीन मूल अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के अधिवक्तागण को सुना। अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अपीलकर्तागण एवं रेस्पोडेंट्स ने संयुक्त खातेदारी की कृषि जोत का विभाजन सहमति से करवाना तय किया गया। राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशासन गांवों के संग अभियान–2010 के दौरान अपीलांट्स ने हल्का पटवारी से सम्पर्क कर कदीमी मौका कब्जा–काश्त अनुसार बंटवाड़ा कराने हेतु विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाया तथा हल्का पटवारी पर विश्वास कर उसके द्वारा तैयार किये गये विभाजन प्रस्ताव अनुसार विभाजन करने हेतु सहमति इकरारनामा व

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

नक्शा के साथ उप–तहसीलदार सिणधरी के समक्ष पेश हुए। अपीलाधीन विभाजन स्वीकृति आदेश अपीलांट व उत्तरदातागण के मध्य पूर्व में हुए बाहमी बंटवाड़े के अनुसार नहीं किया गया हैं न ही कब्जा अनुसार है, तथा नक्शा ट्रेस की तरमीम व मौके पर कब्जा–काश्त में भारी भिन्नता है, जिसके कारण अपीलांट्स की ढाणियां उत्तरदाता के हिस्से में चले गये हैं। अपीलाधीन विभाजन पक्षकारान के भौतिक कब्जे के अनुसार नहीं किया गया हैं ऐसी स्थिति में विभाजन आदेश की पालना विधि अनुसार 9 वर्ष की अवधि तक नहीं की गई । अपीलाधीन विभाजन प्रस्ताव को हल्का पटवारी द्वारा मौके की वस्तुस्थिति एवं कब्जा–काश्त व रहवासीय ढाणियों की स्थिति में ध्यान में नहीं रखा तथा कार्यालय में ही बैठकर तैयार कर किया गया। इससे यह प्रमाणित है कि यह सम्पूर्ण कार्यवाही दूषित हुई है, जिसमें प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की अवहेलना कर, बंटवाड़ा एवं नामान्तरकरण पारित करने एवं नक्शा मे तरमीम करने मे राजस्व नियमावली की प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया है। इस आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बंटवाड़ा का इकरारनामा पर पारित आदेश एवं बंटवाड़ा का नामान्तरकरण व नक्शा मे की गई तरमीम काबिल अपास्त है।

5. अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अपीलांट्स को आलौच्य बंटवाड़ा की तत्समय जानकारी गलत रूप से दी गई थी तथा कहा गया कि कब्जा–काश्त एवं रहवासीय ढाणियों की स्थिति अनुसार किया गया हैं। अपीलांट अपने पूर्ववर्ती कब्जे अनुसार ही आज दिन तक विवादित आराजी पर काबिज काश्तकार हैं। अपीलाधीन विभाजन की जानकारी अपीलांट को तब हुई जब पक्षकारान के खेत खसरा नम्बर 205 में सड़क निकलने लगी तथा अपीलांट ने खेत की पैमाईश व गूगल नक्शा लिया। इस पर अपीलांट ने पक्षकारों को इकट्ठा कर खेत का बंटवाड़ा सही कराने हेतु निवेदन किया, जो रेस्पोडेंट नरीगाराम द्वारा मना कर दिया। इस पर अपीलांट ने विभाजन कार्यवाही की नकलें प्राप्त की जो दिनांक 21.08.19 को प्राप्त होने पर सर्वप्रथम जानकारी होने से अन्दर मयाद यह अपील प्रस्तुत की गई हैं। यद्यपि सम्यक तत्परता व सद्भावना से पेश की हैं फिर भी कानूनी प्रावधानों की पूर्ति हेत धारा 5 मयाद अधिनियम का आवेदन पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। अतः अपीलांट्स की यह अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन विभाजन आदेश दिनांक 14.12.2010 निरस्त कर विवादित आराजी का मौके पर पक्षकारान की सहमति एवं कब्जे–काश्त अनुसार बंटवाड़ा करने का आदेश फरमावें।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

6. रेस्पोडेंट्स की तलबी हेतु जारी नोटिस बावजूद तामिल प्राप्त होने पर भी अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय सुना गया।

7. हमने अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि पक्षकारान ने प्रार्थना पत्र दिनांक 14.12.2010 उप–तहसीलदार सिणधरी के समक्ष प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का विभाजन करने का निवेदन किया। पक्षकारान के द्वारा प्रस्तावित विभाजन अनुसार भूमि आपसी रजामंदी अनुसार प्रदान की गई हैं। इस विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्रस्तुत नक्शा केवल पक्षकारान के हिस्से की स्थिति दर्शाने हेतु नजरीया नक्शा है, जिसका राजस्व रेकर्ड मे अंकन हेतु मौके पर पैमाईश की जाकर रेकर्ड मे दर्ज रकबा अनुसार तरमीम का अंकन किया जाना हैं। अपीलांट्स के अधिवक्ता का कथन हैं कि नक्शे में अंकित तरमीम के द्वारा अपीलांट के कब्जे वाली भूमि रेस्पोडेंट के हिस्से में चली गई हैं जबकि विभाजन नक्शा में प्रत्येक खातेदार को उसके कब्जे अनुसार भूमि का हिस्सा प्रदान करते हुए सहमति हेतु हस्ताक्षर/अंगुष्ठ छाप अंकित कराये गये हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत केवल वे ही अंतिम आदेश अपील योग्य होंगे जो तृतीय अनुसूची में उल्लेखित किसी भी प्रार्थना पत्र में पारित किये गये हैं। इसके अलावा तृतीय अनुसूचि में उल्लेखित के सिवाय अन्य किसी आदेश की अपील धारा 222 में यथाविहित प्रावधान के अन्तर्गत अनुज्ञेय ही नहीं हैं। हस्तगत प्रकरण में पक्षकारान ने अधिनस्थ उप–तहसीलदार सिणधरी के समक्ष धारा 53(2)(i) के तहत सहमति इकरारनामा प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी का विभाजन स्वीकार किया हैं तथा उप–तहसीलदार सिणधरी द्वारा इस इकरारनामा को अपीलाधीन आदेश के द्वारा तस्दीक किया गया हैं। पक्षकारान द्वारा उक्त विभाजन कराने के बाद अपने–अपने हिस्से की भूमि के खातेदार दर्ज हो जाने के 9 वर्ष बाद राजस्व रेकर्ड में फेरबदल कराने हेतु पेश कर रहे हैं, जबकि अधिनियम की तृतीय अनुसूचि में तहसीलदार द्वारा धारा 53(2)(i) के प्रार्थना पत्र में पारित आदेश के बारे में कोई प्रावधान नहीं दिया गया हैं, इस आधार पर सहमति विभाजन इकरारनामा के तस्दीक आदेश के विरूद्ध धारा 225 के अधीन अपील कतई अनुज्ञेय नहीं हैं साथ ही अपीलांट्स द्वारा एक बार सहमति प्रदान करने के बाद इसे जरिये अपील चुनौती दिया जाना विधिसम्मत नहीं हैं। इसके उपरांत भी यदि पक्षकारान इस सहमति विभाजन इकरारनामा को छल–कपट के द्वारा अथवा धोखे में रखकर निष्पादित करवाया जाना मानते हैं तो इसके

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

लिये सक्षम सिविल न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिए। द्वितीय अपीलांट्स जब स्वंय उक्त अपीलाधीन विभाजन तस्दीक कराने हेतु उप–तहसीलदार सिणधनी के समक्ष उपस्थित हुए हैं तो इस आदेश की जानकारी उन्हे तत्समय नहीं होने का कथन मानने योग्य नही हैं। परिणामस्वरूप अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 222 के तहत अनुज्ञेय नहीं होने के साथ ही सारहीन तथ्यों पर आधारित होने एवं मयाद के बिन्दु पर भी खारिज योग्य हैं।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील विधि के प्रावधानों के तहत अनुज्ञेय नही होने एवं सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने के साथ–साथ मयाद बाहर होने से खारिज की जाती हैं।

9. आदेश आज दिनांक 18.02.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

(अंशदीप)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर